



2026:AHC:173236

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8394 सन् 2026

सैफ खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता	: जावेद खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, उमेश चन्द्र शुक्ला
विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता	: अशोक कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा, जिन्हें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद खान द्वारा सहायता प्रदान की गई, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह की ब्रीफ धारण करने वाले अधिवक्ता श्री मेवा लाल यादव तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2026, थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धाराओं 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 110, 109(1) एवं 352 के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा का तर्क है कि कथित घटना से पूर्व, आवेदक पर घायल द्वारा हमला किया गया था, जिसके संबंध में आवेदक के भाई द्वारा दिनांक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27.04.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घायल प्रतीत होता है कि दिनांक 27.04.2026 को लगभग 8:30 बजे रात्रि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था और उक्त सड़क दुर्घटना का लाभ उठाते हुए, घायल के भाई अजीमुद्दीन खान द्वारा यह मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ओरियाना हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी का संदर्भ देते हुए यह इंगित किया कि उसमें विशेष रूप से यह उल्लिखित है कि घायल को दिनांक 28.04.2026 को लगभग 2:13 बजे प्रातः 'बाइक के कारण आर.टी.ए.' (आर.टी.ए. का तात्पर्य 'रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट' है) के मामले के रूप में भर्ती कराया गया था। उसमें उल्लिखित घटना की तिथि तथा समय दिनांक 27.04.2026, 8:30 बजे रात्रि था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, घायल के भाई ने यह उल्लेख किया है कि घायल का उपचार अशर्फी हॉस्पिटल में किया जा रहा था, जबकि विवेचना के दौरान ऐसी कोई चिकित्सा रिपोर्ट अथवा अन्य कागजात एकत्र नहीं किए गए हैं, जिससे यह इंगित हो सके कि घायल का उपचार कभी अशर्फी हॉस्पिटल में हुआ था। घायल को हुई क्षति में पैराइटो-ऑक्सिपिटल हड्डी में फ्रैक्चर सम्मिलित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथापि, वर्तमान मामले में उसे फंसाए जाने के पश्चात, धारा 351(3), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराधों हेतु एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घायल को उसके भाई फहीमुद्दीन खान द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक अन्य भाई अजीमुद्दीन खान द्वारा दर्ज कराई गई है। अतः, पुलिस को बताए गए अस्पताल के नाम में कोई भूल हो सकती है। अशर्फी हॉस्पिटल के चिकित्सक ने यह अंगीकृत किया है कि घायल को अशर्फी हॉस्पिटल लाया गया था, तथापि, प्राथमिक उपचार के पश्चात, उसे एक अन्य अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशेष रूप से लिया गया है। वह घायल पर हमला करने में सहायक रहा है, जिसे गंभीर क्षति पहुँची है। घायल को सात चोटें आई हैं, जिनमें से एक सिर की चोट के परिणामस्वरूप पैराइटो-ऑक्सिपिटल हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। तथापि, विद्वान अधिवक्तागण आवेदक द्वारा उसके आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खण्डन करने में असफल रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार किया है।
6. आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में पाँच अन्य नामित अभियुक्तों तथा दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है। घायल को सात चोटें आई हैं, जिनमें से एक गंभीर क्षति बताई गई है। अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत डिस्चार्ज समरी में, 'बाइक के कारण आर.टी.ए.' के कारण घायल को हुई क्षति संबंधी टिप्पणी, जैसा कि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया, केस डायरियों में भी विद्यमान है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खण्डन करने में असफल रहे हैं कि आर.टी.ए. का तात्पर्य रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। प्रथम दृष्टया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की ओर से घायल के विरुद्ध दिनांक 27.04.2026 को मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, न्यायालय की राय में आवेदक की मिथ्या फंसावट को नकारा नहीं जा सकता।
7. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।
8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **-सैफ खान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा तत्समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब मुक्त किया जाएगा: -
 - i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत रखने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रेक्षण केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु किए गए हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

दिनांक: 17 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

Translated Version, Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।